छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1436 / एफ-2-63 / 31 / एस-2 / 2019, अटल नगर, दिनांक 27 / 03 / 2020

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः- **धमतरी जिले के विकासखंड-धमतरी की रविशंकर सागर जलाशय के अंतर्गत तृतीय पायलट चैनल एवं मेशनरी डेम के डाऊन स्ट्रीम में ग्लासिक भाग में एवं बैकेट टीथ में एपोक्सी मोर्टार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्रमांक-84 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2019 / 13509, रायपुर, दिनांक 22.10.2019.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखंड-धमतरी की रविशंकर सागर जलाशय के अंतर्गत तृतीय पायलट चैनल एवं मेशनरी डेम के डाऊन स्ट्रीम में ग्लासिक भाग में एवं बैकेट टीथ में एपोक्सी मोर्टार कार्यों में से बाँध सुरक्षा की दृष्टि से Epoxy Treatment (Epoxy Treatment of Glasis Portion i/c Teeth and bucket teeth floor) संबंधी कार्य की लागत राशि रु. 504.46 लाख (रुपये पाँच करोड़ चार लाख छियालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे ।

3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखाशीर्ष, 4700-वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [02] महानदी परियोजना समूह, {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (5685)-बाँध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण, #26-वृहद् निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-1711 / सी.एन. 31-02470 / बजट-2 / वित्त / चार / 2020, दिनांक 18.03.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

8. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/3/20
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

D:\WRD-2017\WRD 2017\Hindi Letter\AAAA AADESH.docx

पृ. क्र. 1437 / एफ–2–63 / 31 / एस–2 / 2019, अटल नगर, दिनांक 27/ 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

8 कलेक्टर, जिला–धमतरी (छ.ग.)।

9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।

10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।

11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।

12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।

13 अधीक्षण अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बाँध मण्डल, रुद्री, जिला–धमतरी (छ.ग.)।

14 कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रुद्री, जिला–धमतरी (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15 आदेश फोल्डर।

23/3/20

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

D:\WRD-2017\WRD 2017\Hindi Letter\AAAA AADESH.docx